फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री सुरेन्द्र सिंह राव मु. पो. आईडाणा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द जिला राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 06/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.06.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्रांक क्रमांक एफ.1()सू0अ0,05/2022/146–147 दिनांक 20.02.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय हाजा को पत्रांक 766 दिनांक 14.09.2022 को पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 1077 दिनांक 08.10.2022 द्वारा सूचना इस अनुभाग को प्रेशित की गई। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग के अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के पृष्ठ 23 होने से सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 की धारा 7(1) एवं 7(5) के तहत नियमानुसार वांछित सूचना के 02 रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से 46/– रूपये राजकोष में जमा कराने हेतु एवं इप्सित सूचना वृहत होने से धारा 2(ञ) के प्रावधनो के अंतर्गत कार्यालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर पत्रावली पर उपलब्ध कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण कर वांछित सूचना को इंगित कर सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के प्रावधानों के अर्न्तगत नियमानुसार सूचना प्राप्त की जा सकती हैं। प्रार्थी/ अपीलार्थी ने आज दिनांक तक सूचना प्राप्त करने के लिए कार्यालय में उपस्थित नही हुआ हैं और न ही सूचना प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क राशि भिजवाई हैं। जिसके अभाव में सूचना कार्यालय के रेकार्ड में उपलब्ध हैं। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/ अपीलार्थी ने आज दिनांक तक सूचना प्राप्त करने के लिए कार्यालय में उपस्थित नही हुआ हैं और न ही सूचना प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क राशि भिजवाई हैं। जिसके अभाव में सूचना कार्यालय के रेकार्ड में उपलब्ध हैं। अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करा वांछित सूचना प्राप्त करें। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	